

पंजीकृत डाक द्वारा

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

(भवन प्रकोष्ठ)

मुख्य प्रशासनिक भवन सेक्टर-6 नोएडा(उ ०प्र०)

संख्या नोएडा/मुवा०नि०/२०१६/III-२४८/ ९२।

दिनांक:

२१/७/१६

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

उत्तर प्रदेश

सेवा में

मैसर्स कैपिटल इन्फा प्रोजेक्ट प्रा० लिमिटेड

जीएच-०१ई, सेक्टर-१६८

नोएडा

प्रिय महोदय,

मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि वास्तुविद श्री ज्ञान पी० माथूर काउन्सिल आफ आर्कटिक्सर पंजीकरण संख्या सी०१०/८०/५७०९ समूह/फर्म के पर्येक्षण में ग्रुप हाऊसिंग भूखण्ड संख्या-जी०१०एच०-०१ई, सेक्टर-१६८, नोएडा में टॉवर सं०-D,E,F,G,H,J & K पर पूरे किये गये भवन का निर्माण /पुनर्निर्माण /परिवर्तन/ निरीक्षण किया गया है तथा मैं घोषणा करता हूँ कि सम्बन्धित पंजीकृत वास्तुविद के समूह/फर्म द्वारा प्रस्तुत किये गये संरचना मजबूती प्रमाण पत्र तथा समापन प्रमाण पत्र के आधार पर अधिभोग संरचना मजबूती, अग्निसुरक्षा, अन्दर तथा आस पास की स्वच्छता और सफाई सम्बन्धी स्थितियों के सम्बन्ध में यह रहने तथा अधिभोग के योग्य है ।

यह आंशिक अधिभोग पत्र दिनांक 22.03.16 को प्राधिकरण द्वारा किये गये निरीक्षण के आधार पर जारी किया जा सकता है । यदि आवंटी द्वारा भूखण्ड/ भवन में निरीक्षण की तिथि के बाद कुछ परिवर्तन किया/किये जाते हैं अथवा नोएडा विल्डिंग रेगुलेशन तथा डायरेक्शन/ भवन नियमावली के विरुद्ध कोई निर्माण किया जाता है तो ऐसे निर्माण के विरुद्ध उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा -10 के अन्तर्गत हटाने की कार्यवाही आपेक्षित होगी । भविष्य में भूखण्ड/ भवन में नोएडा विल्डिंग रेगुलेशन तथा डायरेक्शन/ भवन नियमावली के अनुसार विस्तार का अलग से मानविक स्वीकृत करने तथा उस भाग का आधिभोग पत्र नियमानुसार प्राप्त करना अनिवार्य होगा तथा उसका पूर्ण वायित्व सम्बन्धित आवंटी/भू-खामी का होगा ।

संलग्न: भवन का कम्पलीशन प्लान ।

मू-आच्छादन का विवरण

भूखण्ड का क्षेत्रफल

= 39,999.76 वर्ग मी०

सम्पूर्ण योजना में अनुमन्य भू-आच्छादित क्षेत्रफल

= 15,999.904 वर्ग मी० (40%)

सम्पूर्ण योजना में खींकृत भू-आच्छादित क्षेत्रफल

= 6969.273 वर्ग मी० (17.42 %)

वर्तमान में निर्मित भू-आच्छादन क्षेत्रफल (7 टॉवर्सी)

= 33,62.046 वर्ग मी० (8.40%)

शेष भू-आच्छादित क्षेत्रफल

= 12,637.854 वर्ग मी०

एफ०ए०आर० का विवरण

सम्पूर्ण योजना में अनुमन्य एफ०ए०आर० (2.75)

= 1,09,999.34 वर्ग मी०

सम्पूर्ण योजना में स्वीकृत एफ०ए०आर०

= 1,09,413.538 वर्ग मी०

वर्षभान में निर्मित एफ.ए.आर (7 टॉनसे) सम्पूर्ण योजना में शेष एफ.ए.आर वाणिज्यिक क्षेत्रफल का विवरण	= 49,177.881 वर्ग मी० = 60,821.459 वर्ग मी०
भूखण्ड का क्षेत्रफल अनुमन्य एफ.ए.आर (2.75)	= 39,999.76 वर्ग मी०
अनुमन्य वाणिज्यिक क्षेत्रफल	= 1,09,999.34 वर्ग मी०
रखीकृत वाणिज्यिक क्षेत्रफल	= एफ.ए.आर का @1% = 1099.93 वर्ग मी०
डब्लिंग यूनिट्स का विवरण उत्तमान में निर्मित डब्लिंग यूनिट्स	= 1012.682 वर्ग मी०
	= 604 यूनिट्स

प्रतिवचन-

- यह जारी किये जाने वाला अधिभोग प्रमाण पत्र ओखला पक्षी विहार के ईको सेन्सेटिव जॉन निधरण के सम्बन्ध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष विचाराधीन मूल प्रार्थना पत्र सं0-375 वर्ष 2015, परम्परी सिंह बनम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य में पारित अंतिम निर्णय के अनुपालन हेतु पट्टाधारक/उप पट्टाधारक द्वाध्य होंगे ।
 - नौएडा गवन विनियमावली-2010, ल0प्र0 अपार्टमेंट एक्ट-2010, पर्यावरण विभाग/माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण तथा अन्य सम्बद्धित राज्य व केन्द्र सरकार के लागू होने वाले सभी अधिनियमों एवं उसके अन्तर्गत नियमों/निर्देशों आदि (अध्यावधिक यथा संशोधित एवं प्रबाधी) का अनुपालन आवंटी संस्था पर द्वाध्यकारी होगा ।
 - अधिभोग प्रमाण पत्र एवं मानविक्री में दशायी गयी स्थीरता के सापेक्ष प्राधिकरण की स्थीरता प्राप्त किये बिना किसी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्धन/संशोधन आदि किया जाना अनाधिकृत माना जायेगा तथा उसको घस्त कर/हटाये जाने की विद्युक कार्यवाही की जायेगी ।
 - अनिशमन, लिफ्ट संचालन, वर्षा जल संचालन प्रणाली, जल संखण व रिसाइकिलिंग, लैण्डस्केप/हरित क्षेत्र/स्वूला क्षेत्र/वृक्षारोपण, सीवेज सिस्टम, कुड़ा एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, पर्यावरणीय एवं प्रदूषण सम्बन्धी व्यवस्था व प्रणालियों आदि का रखरखाव व संचालन गुणवत्तापूर्वक करने के साथ हमेशा कार्यशील स्थिति में रखा जाना अनिवार्य होगा अन्यथा समापन मानविक्री निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी ।
 - सम्पूर्ण योजना के अधिभोग हेतु आवैदन के समय नियमानुसार पूर्ण देख लेवर से 30 दिन के अन्दर जमा कराना सुनिश्चित करेंगे ।

संलग्नक, भवन के समाप्त मानचित्र ।

Brayton, John, 1862-1928. Gym
Lectures on Physical Exercise.
By A. M. Ladd. Boston: Houghton Mifflin Co.

भवदीय
नाम जगत्र परम्परा नैठ
पद
नोएडा

प्रतिलिपि: विशेषकार्यधिकारी (ग्रुप डाक्सिङ) को सुचनार्थ ।

सम्पूर्ण योजना में स्वीकृत एफ0ए0आर0

(क्रय योग्य एफ0ए0आर0 सहित)

पूर्व में निर्मित एफ.ए.आर.(7 टॉवर्स अधिभोग जारी)

= 1,21,934.443 वर्ग मी0

वर्तमान में निर्मित एफ.ए.आर.(5 टॉवर्स)

= 49,177.881 वर्ग मी0

कुल निर्मित एफ.ए.आर.(5+7 टॉवर्स अधिभोग जारी सहित)

= 54,320.267 वर्ग मी0

सम्पूर्ण योजना में शेष स्वीकृत एफ0ए0आर0

= 1,03,498.148 वर्ग मी0

ड्यूलिंग यूनिट्स का विवरण

पूर्व में निर्मित ड्यूलिंग यूनिट्स(अधिभोग जारी)

= 604 यूनिट्स

वर्तमान में निर्मित ड्यूलिंग यूनिट्स

= 404 यूनिट्स

कुल निर्मित ड्यूलिंग यूनिट्स

= 1008 यूनिट्स

प्रतिवन्ध-

1. यह जारी किये जाने वाला अधिभोग प्रमाण पत्र खोखला पक्षी विहार के ईको सेन्सेटिव जौन निर्धारण के सम्बन्ध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष विचाराधीन मूल प्राथना पत्र सं0-375 वर्ष 2015, परमवीर सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य में पारित अंतिम निर्णय के अनुपालन हेतु पट्टाधारक/उप पट्टाधारक बाध्य होगे ।
2. नौएडा भवन नियमावली-2010, उ0प्र0 अपार्टमेंट एक्ट-2010, पर्यावरण विभाग/माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण तथा अन्य सम्बन्धित राज्य व केन्द्र सरकार के लागू होने वाले सभी अधिनियमों एवं उसके अन्तर्गत नियमों/निर्देशों आदि (अध्यावधिक यथा संशोधित एवं प्रभावी) का अनुपालन आवंटी संस्था पर बाध्यकारी होगा ।
3. अधिभोग प्रमाण पत्र एवं मानचित्रों में दशायी गयी स्वीकृति के सापेक्ष प्राधिकरण की स्वीकृति प्राप्त किये बिना किसी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्धन/संशोधन आदि किया जाना अनाधिकृत माना जायेगा तथा उसको ध्वरत कर/हटाये जाने की विधिक कार्यवाही की जायेगी ।
4. अग्निशमन, लिफ्ट संचालन, वर्षा जल संचालन प्रणाली, जल संरक्षण व रिसाइकिलिंग, लैण्डस्केप/हरित क्षेत्र/खुला क्षेत्र/वृक्षारोपण, सीवेज सिस्टम, कूड़ा एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, पर्यावरणीय एवं प्रदूषण सम्बन्धी व्यवस्था व प्रणालियों आदि का रखरखाव व संचालन गुणवत्तापूर्वक करने के साथ हमेशा कार्यशील रिथ्टि में रखा जाना अनिवार्य होगा अन्यथा समापन मानचित्र निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी ।
5. सम्पूर्ण योजना के अधिभोग हेतु आवेदन के समय नियमानुसार पूर्ण देय लेबर सेस जमा करना सुनिश्चित करें ।
6. यह अधिभोग प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ जारी किया जा रहा है कि भविष्य में यदि फ्लैट क्रेता द्वारा मानचित्र में बदलाव या किन्ही अन्य कारणों से असहमति व्यक्त की जाती है तो आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।
7. आवंटी संस्था द्वारा रेस (Real Estate Regulatory Act) में दिये गये प्राविधानों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा ।
8. फ्लैट स्वामियों व अन्य के विजिटर्स हेतु कार पार्किंग की व्यवस्था परिसर के भीतर ही करना सुनिश्चित करें । सड़क पर किसी भी प्रकार की पार्किंग न करें ।

संलग्नक: भवन के समापन मानचित्र ।

भवदीय

नाम
पद
नोएडा रोड

प्रतिलिपि: विशेषकार्यधिकारी(ग्रुप हाऊसिंग) को सूचनार्थ ।

Completion Drawing is as per B.
Laws submitted for approval Please

 
Arch. Asstt. Arch. Architect